**न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ**

**पीठासीन अधिकारी :– हरभान मीणा, आर.ए.एस**

अपील संख्या – 147/2005/223 आर टी ए

1. मु0बलजीत कौर पुत्री स्व. मुख्त्यारसिंह पत्नि बलदेवसिह जाति जटसिख निवासी जस्सीबागअली तहसील व जिला बठिण्डा पंजाब।
2. गमदूरसिंह पुत्र स्व. मुख्त्यारसिंह जाति जटसिख निवासी बुर्जमानसा तहसील रामपुरा फूल जिला बठिण्डा पंजाब।
3. मु0 सुखदीप कौर पत्नि स्व0 डूंगरसिंह जाति जटसिख निवासी बुर्जमानसा तहसील रामपुरा फूल जिला बठिण्डा पंजाब।
4. महलसिंह पुत्र स्व. डूंगरसिंह जाति जटसिख निवासी बुर्जमानसा तहसील रामपुरा फूल जिला बठिण्डा पंजाब।
5. मु0 सिंवरजीत कौर पुत्री हरफूलसिंह जाति जटसिख निवासी बुर्जमानसा तहसील रामपुरा फूल जिला बठिण्डा पंजाब।
6. मु0 सिम्बलजीत कौर पुत्री हरफूलसिंह जाति जटसिख निवासी बुर्जमानसा तहसील रामपुरा फूल जिला बठिण्डा पंजाब।

––अपीलांट

**बनाम**

1. हरनेकसिंह पुत्र करतारसिंह तथाकथित दत्तक पुत्र बलवंतसिंह जाति जटसिख निवासी खरलिया तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

–– असल रेस्पोडेंट

2. करतारसिंह पुत्र अमरसिंह (फौत)

2/1 दलजीत कौर पत्नि गुरचरणसिंह पुत्र स्व. करतारसिंह जाति जटसिख निवासी बुर्जमानसा तहसील रामपुरा फूल जिला बठिण्डा पंजाब।

2/2 गुरसेवकसिंह पुत्र स्व. गुरचरण सिंह पुत्र स्व. करतारसिंह जाति जटसिख निवासी बुर्जमानसा तहसील रामपुरा फूल जिला बठिण्डा पंजाब।

2/3 महेन्द्र कौर (पुत्री स्व. करतारसिंह) पत्नि हरबंस सिंह जाति जटसिख निवासी सतीपुरा तहसील व जिला हनुमानगढ़।

2/4 मूर्ति (पुत्री स्व. करतारसिंह) पत्नि जंगीरसिंह जाति जटसिख निवासी मायसरखाना तहसील मोड जिला मानसा पंजाब।

2/5 बलविन्द्र कौर (पुत्री स्व0करतारसिंह) पत्नि चरणपाल सिंह जाति जटसिख निवासी मेहना तहसील डबवाली जिला सिरसा हरियाणा।

2/6 वीरा (पुत्री स्व. करतारसिंह) पत्नि प्रीतपाल सिंह जाति जटसिख निवासी मेहना तहसील डबवाली जिला सिरसा।

3. शेरसिंह पुत्र दलसिंह जाति जटसिख निवासी खरलिया तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
4. टजमेरसिंह पुत्र दलसिंह जाति जटसिख निवासी खरलिया तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
5. हरनेकसिंह पुत्र दलसिंह जाति जटसिख निवासी खरलिया तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

6. जरनैलसिंह पुत्र दलसिंह जाति जटसिख निवासी खरलिया तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
7. मलकीत सिंह पुत्र दलसिंह जाति जटसिख निवासी खरलिया तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
8. ठानासिंह पुत्र कुण्डासिंह जाति जटसिख निवासी खरलिया तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

———रेस्पो0

अपील विरूद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 29.09.2005 न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा प्र0सं0 18/2001 अनवानी हरनेकसिंह बनाम बलवंतसिंह आदि

उपस्थित :–

श्री लालचन्द वर्मा अधिवक्ता अपीलांट

निर्णय दिनांकः–14.09.2017

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि रेस्पो0 सं. 1/वादी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपने दादा बलवंतसिंह, ताउ मुख्त्यारसिंह, व अपने पिता करतारसिंह तथा मुखत्यारसिंह की पत्नि चेतनकौर के विरूद्ध खातेदारी अधिकारो की घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का दावा पेश किया। जो दिनांक 06.02.86 को वाद रेस्पो0 सं. 1 के पक्ष मे डिक्री किया गया जिसके विरूद्ध स्व. चेतनकौर ने अपील प्रस्तुत की। जिसमे न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी द्वारा समस्त विवाधको के संबंध मे वादी/रेस्पो0 स. 1 के पक्ष मे पारित अवधारणाओ को पलटते हुये वादी के अभिकथनानुसार एवं प्रस्तुत साक्ष्य से वादी को न केवल बलवंतसिंह का खोलायत पुत्र होना साबित माना अपितु प्रश्नगत विक्रय पत्र दिनांक 14.02.82 को प्रश्नगत ही शून्य मानते के संबंध मे अधीनस्थ न्यायालय के निष्कर्ष को विधि विरूद्ध करार देते हुए यह बैयनामा वर्णित आधारो पर शून्यकरणीय माना तथा सक्षम सिविल न्यायालय से इस बैयनामा को मंसूख करवाये बिना वादी/रेस्पो0 सं. 1 को प्रश्नगत भूमि के संबंध मे खातेदारी अधिकार हासिल करने का अधिकारी नही होने की अवधारणा पारित की तथा प्रकरण मे रिमाण्ड किया गया। रिमाण्ड होने के उपरांत भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद वादी/रेस्पो0 के पक्ष मे अपीलाधीन निर्णय के जरिये डिक्री कर दिया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।
2. पत्रावली मे अधिवक्ता अपीलांट की एकपक्षीय बहस सुनी गई।
3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में अपील मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने माननीय राजस्व अपील अधिकारी द्वारा अपने निर्णय 24.01.2001 मे पारित निर्देश की पालना मे अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित न

कर रिमाण्ड आदेश को अनदेखा कर निर्णय पारित किया है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर स्व. बलवंतसिंह का खोलायत पुत्र होना साबित नही हुआ है व ना ही प्रदर्श 1 को साबित करने के लिये रेस्पो0 स. 1 ने संबंधित महत्वपूर्ण साक्ष्य प्रस्तुत किया है। खोलानामा दिनांक 13.09.65 के निष्पादन के समय रेस्पो0 सं. 1 की आयु 17 वर्ष साबित है। हिन्दू दत्तक एवं भरण पोषणा अधिनियम की धारा 10 के अनुसार दिनांक 13.09.65 को रेस्पो0 सं. 1 की आयु 15 वर्ष से अधिक थी तथा वह दत्तक ग्रहण के योग्य नही था। रेस्पो0 सं. 1 की साक्ष्य से यह प्रमाणित नही हुआ है कि उसकी बिरादरी मे 15 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति को खोले लेने का रिवाज या परम्परा रही हो। यहां यह भी तथ्य उल्लेखनीय है कि यदि इस खोलानामा को विधि सम्मत माना जाता है तो भी स्व. बलवंतसिंह की 17 बीघा पैतृक भूमि मे दिनांक 14.02.80 तक बतौर खोलायत पुत्र रेस्पो0 सं. 1 का निस्फ हिस्सा ही कानूनन बनता था तथा स्व. बलवंतसिंह निस्फ हिस्सा की हद तक प्रदर्श 2 बैयनामा स्व. चेतनकौर के पक्ष मे निष्पादित व पंजीकृत करवाने का वैद्य अधिकारी था। प्रदर्श 2 बैयनामा प्रदर्श 3 बैयनामा से पहले पंजीकृत हुआ है तथा अधिक से अधिक प्रदर्श 3 बैयनामा ही अवैध व शून्य माना जा सकता था। समस्त 17 बीघा भूमि की डिक्री रेस्पो0 सं. 1 पारित करवाने का अधिकारी नही था। वादी हरनेक सिंह को चेतनकौर के पक्ष मे निष्पादित बैयनामा को सक्षम सिविल न्यायालय से मन्सूख करवाये बिना राजस्व न्यायालय से खातेदारी अधिकार प्राप्त कराने का अधिकार नही था।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय व डिक्री के अन्तर्गत विवाधक संख्या 6 का निर्णय माननीय राजस्व अपील अधिकारी द्वारा अपील सं. 32/98 मे पारित निर्णय दिनांक 24.01.2001 मे प्रतिपादित निर्देशो की पालना मे नही दिया है। इस निर्णय मे स्पष्टतः यह निर्देश थे कि जब तक सिविल न्यायालय से बैयनामा दिनांक 14.02.80 निरस्त नही होता तब तक वादी प्रश्नगत भूमि के संबंध मे अनुतोष प्राप्त नही सकता। स्वयं वादी ने इस बैयनामा को सिविल न्यायालय से निरस्त करवाने एवं स्वयं को स्व. बलवंतसिंह का गोदपुत्र घोषित करने का दीवानी वाद सं. 3/2005 प्रस्तुत किया। इस वादपत्र मे विवाधक सं. 1 व 1ए वादी के विरूद्ध तय किये जाकर उसका दावा खारिज हुआ है। रेस्पो0 सं. 1 ने दौराने दावा भूप्रबन्ध विभाग से 16 बीघा 19 बिस्वा भूमि दर्ज करवाई थी जिसमे मुताबिक बैयनामा निस्फ उत्तरी हिस्सा मे अपीलांट खातेदार घोषित किये जाने योग्य थे। पत्रावली पर सभी विवाधको के संबंध मे दोनो पक्षो की साक्ष्य एवं अभिलेखीय साक्ष्य है तथा सिविल न्यायालय का निर्णय पारित हो जाने की स्थिति मे

अपील अपीलांट पूर्णतः स्वीकार किये जाने योग्य है। अतः ऐसी स्थिति मे आदेश 41 नियम 23 सीपीसी के प्रावधानो के अनुसार प्रकरण रिमाण्ड योग्य नही बल्कि अपीलांट का काउंटर क्लेम डिक्री किये जाने योग्य है। अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस के समर्थन RRD 1984 Page 873, RRD 1986 Page 548, RRD 1988 Page 610, RRD 1992 Page 212, RRD 1994 Page 98, RRD 2001 Page 24, RRD 1993 Page 338, CCC 2015(2) Page 265, CCC 2015(1) Page 802, CCC 2015(2) page 231 न्यायिक दृष्टांत पेश किये। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलांट का काउंटर क्लेम स्वीकार किया जावें।

5. पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया। अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का ससम्मान अध्ययन किया गया। पत्रावली का अवलोकन करने एवं दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन करने उपरांत निष्कर्ष है कि रेस्पो0 सं. 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष खातेदारी अधिकारो की घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का दावा पेश किया। जो दिनांक 06.02.86 को वाद रेस्पो0 सं. 1 के पक्ष मे डिक्री किया गया जिसके विरूद्ध स्व. चेतनकौर ने अपील प्रस्तुत की। जिसमे न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी द्वारा समस्त विवाधको के संबंध मे रेस्पो0 स. 1 के पक्ष मे पारित अवधारणाओ को पलटते हुये प्रश्नगत बैयनामा वर्णित आधारो पर शून्यकरणीय माना तथा सक्षम सिविल न्यायालय से इस बैयनामा को मंसूख करवाये बिना रेस्पो0 सं. 1 को प्रश्नगत भूमि के संबंध मे खातेदारी अधिकार हासिल करने का अधिकारी नही होने की अवधारणा पारित की तथा प्रकरण मे रिमाण्ड किया गया। रिमाण्ड होने के उपरांत भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद वादी/रेस्पो0 के पक्ष मे अपीलाधीन निर्णय के जरिये डिक्री कर दिया। जिसके विरूद्ध यह अपील पेश हुई है।

6. रेस्पो0 ने प्रश्नगत बैयनामा जो अपीलांट के पक्ष मे निष्पादित किया गया, को सिविल न्यायालय से निरस्त करवाने एवं स्वयं को स्व. बलवंतसिंह का गोदपुत्र घोषित करने का दीवानी वाद सं. 3/2005 प्रस्तुत किया जो खारिज किया गया। सिविल न्यायालय मे न तो रेस्पो0 सं. 1 को स्व. बलवंतसिंह का खोलायत माना और न ही प्रश्नगत बैयनामा निरस्त किया है। इस प्रकार रेस्पो0 सं. 1 खोलानामा के आधार पर स्व. बलवंतसिंह द्वारा जरिये बैयनामा बैय की गई भूमि के संबंध मे अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नही था। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्व रिमाण्ड निर्देशो एवं दस्तावेजी साक्ष्य को अनदेखा करते हुए बैचान की गई भूमि का रेस्पो0 सं. 1 को खातेदार घोषित कर अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया। जबकि वादग्रस्त जो कि बलवंतसिंह के नाम से दर्ज है। स्व. बलवंतसिंह द्वारा अपीलांट के पूर्वज स्व. चेतनकौर को जरिये बैयनामा बैय

कर दी गई थी और बैयनामा के आधार पर स्व. चेतनकौर के वारिसान खातेदारी अधिकारो की घोषणा करवाने के अधिकारी थे तथा वादग्रस्त भूमि के संबंध मे राजस्व न्यायालय मे वाद विचाराधीन/लम्बित रहने के दौरान भू–प्रबन्ध विभाग ने अनाधिकृत रूप से दिनांक 03.10.80 को स्व. बलवंतसिंह के नाम दर्ज समस्त 16.19 बीघा भूमि रेस्पो0 सं. 1 हरनेकसिंह के नाम दर्ज कर दी जबकि भू–प्रबन्ध विभाग को इस तरह का इन्द्राज दर्ज करने का कोई अधिकार नही है। इसलिए भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा किये गये गलत व विधिविरूद्ध इन्द्राज को भी को यथावत रखा जाना न्यायसंगत नही है। उपरोक्त परिस्थितियों मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री त्रुटिपूर्ण एवं विधि विरूद्ध होने के कारण तथा भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा किये गये इन्द्राज विधिविरूद्ध होने के कारण अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 29.09.2005 व भू–प्रबन्ध विभाग का इन्द्राज दिनांक 03.10.80 निरस्त किया जाकर अपील अपीलांट को स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

7. अतः उक्त विवेचन के अनुसार अपील अपीलांट स्वीकार योग्य होने के कारण आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 29.09.2005 को तथा भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा किये गये इन्द्राज दिनांक 03.10.80 को निरस्त किया जाता है तथा स्व. चेतनकौर द्वारा बलवंतसिंह से खरीदशुदा भूमि मे अपीलांट सं. 1 व 2 प्रत्येक 1/4–1/4 हिस्सा के व अपीलांट सं. 3 व 6 बहिस्सा बराबर 1/4 हिस्सा के एवं अपीलांट सं. 4 व 5 बहिस्सा बराबर 1/4 हिस्सा के खातेदार घोषित किये जाते है। अपीलांट वादग्रस्त भूमि के संबंध मे खाता विभाजन एवं बेदखली हेतु उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा के समक्ष उपस्थित होकर अनुतोष प्राप्त करें तथा अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि आप रेस्पोडेंटस की विधिवत तामील करवाते हुए विभाजन हेतु उभय पक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान कर प्रकरण का निस्तारण 6 माह मे करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 03.11.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(हरभान मीणा) आर..ए.एस
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ

डिक्री व सीगे अपील
न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़
बइजलास हरभान मीणा आर0ए0एस0

अपील संख्या – 147/2005/223 आर टी ए

1. मु0बलजीत कौर पुत्री स्व. मुख्त्यारसिंह पत्नि बलदेवसिह जाति जटसिख निवासी जस्सीबागअली तहसील व जिला बठिण्डा पंजाब।
2. गमदूरसिंह पुत्र स्व. मुख्त्यारसिंह जाति जटसिख निवासी बुर्जमानसा तहसील रामपुरा फूल जिला बठिण्डा पंजाब।
3. मु0 सुखदीप कौर पत्नि स्व0 डूंगरसिंह जाति जटसिख निवासी बुर्जमानसा तहसील रामपुरा फूल जिला बठिण्डा पंजाब।
4. महलसिंह पुत्र स्व. डूंगरसिंह जाति जटसिख निवासी बुर्जमानसा तहसील रामपुरा फूल जिला बठिण्डा पंजाब।
5. मु0 सिंवरजीत कौर पुत्री हरफूलसिंह जाति जटसिख निवासी बुर्जमानसा तहसील रामपुरा फूल जिला बठिण्डा पंजाब।
6. मु0 सिम्बलजीत कौर पुत्री हरफूलसिंह जाति जटसिख निवासी बुर्जमानसा तहसील रामपुरा फूल जिला बठिण्डा पंजाब।

––अपीलांट

**बनाम**

1. हरनेकसिंह पुत्र करतारसिंह तथाकथित दत्तक पुत्र बलवंतसिंह जाति जटसिख निवासी खरलिया तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

–– असल रेस्पोडेंट

2. करतारसिंह पुत्र अमरसिंह (फौत)

2/1 दलजीत कौर पत्नि गुरचरणसिंह पुत्र स्व. करतारसिंह जाति जटसिख निवासी बुर्जमानसा तहसील रामपुरा फूल जिला बठिण्डा पंजाब।

2/2 गुरसेवकसिंह पुत्र स्व. गुरचरण सिंह पुत्र स्व. करतारसिंह जाति जटसिख निवासी बुर्जमानसा तहसील रामपुरा फूल जिला बठिण्डा पंजाब।

2/3 महेन्द्र कौर (पुत्री स्व. करतारसिंह) पत्नि हरबंस सिंह जाति जटसिख निवासी सतीपुरा तहसील व जिला हनुमानगढ़।

2/4 मूर्ति (पुत्री स्व. करतारसिंह) पत्नि जंगीरसिंह जाति जटसिख निवासी मायसरखाना तहसील मोड जिला मानसा पंजाब।

2/5 बलविन्द्र कौर (पुत्री स्व0करतारसिंह) पत्नि चरणपाल सिंह जाति जटसिख निवासी मेहना तहसील डबवाली जिला सिरसा हरियाणा।

2/6 वीरा (पुत्री स्व. करतारसिंह) पत्नि प्रीतपाल सिंह जाति जटसिख निवासी मेहना तहसील डबवाली जिला सिरसा।

3. शेरसिंह पुत्र दलसिंह जाति जटसिख निवासी खरलिया तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
4. टजमेरसिंह पुत्र दलसिंह जाति जटसिख निवासी खरलिया तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
5. हरनेकसिंह पुत्र दलसिंह जाति जटसिख निवासी खरलिया तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

6. जरनैलसिंह पुत्र दलसिंह जाति जटसिख निवासी खरलिया तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
7. मलकीत सिंह पुत्र दलसिंह जाति जटसिख निवासी खरलिया तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
8. ठानासिंह पुत्र कुण्डासिंह जाति जटसिख निवासी खरलिया तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

———रेस्पो0

अपील विरूद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 29.09.2005 न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा प्र0सं0 18/2001 अनवानी हरनेकसिंह बनाम बलवंतसिंह आदि

आज यह अपील रूबरू हाजिर श्री लालचन्द वर्मा अधिवक्ता अपीलांट की ओर से पेश होकर हुक्म हुआ है कि अपील अपीलांट स्वीकार योग्य होने के कारण आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 29.09.2005 को तथा भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा किये गये इन्द्राज दिनांक 03.10.80 को निरस्त किया जाता है तथा स्व. चेतनकौर द्वारा बलवंतसिंह से खरीदशुदा भूमि मे अपीलांट सं. 1 व 2 प्रत्येक 1/4–1/4 हिस्सा के व अपीलांट सं. 3 व 6 बहिस्सा बराबर 1/4 हिस्सा के एवं अपीलांट सं. 4 व 5 बहिस्सा बराबर 1/4 हिस्सा के खातेदार घोषित किये जाते है। अपीलांट वादग्रस्त भूमि के संबंध मे खाता विभाजन एवं बेदखली हेतु उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा के समक्ष उपस्थित होकर अनुतोष प्राप्त करें तथा अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि आप रेस्पोडेंटस की विधिवत तामील करवाते हुए विभाजन हेतु उभय पक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान कर प्रकरण का निस्तारण 6 माह मे करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर की जावें।

डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख 03.11.2017 को जारी की गई।

(हरभान मीणा आर.ए.एस.)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ